



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,
वणिज्य और उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400096
Tel: 022-28294799 / 28294750
Fax: 022-28291754, E-mail: dcseepz_mah@nic.in

PUBLIC NOTICE NO. 44 / 2017, DATED : 30th NOVEMBER, 2017

Sub : Registration of EOUs in Public Finance Management System (PFMS) portal as Agency for grant of re-imbursement of CST/Duty Drawback/ Refund of Terminal Excise Duty.

Attention is invited to the Office Memorandum dated 22.09.2017 issued by the Chief Controller of Accounts, Office of the Principal Accounts, Deptt. of Commerce, Ministry of Textiles regarding mandatory implementation of Public Finance Management System (PFMS) for release of payment to all the agencies.

In order to implement the "Public Finance Management System (PFMS) - Expenditure Advance & Transfer (EAT)" module, it is hereby directed that all the concerned Export Oriented Units and Developers / Co-Developers of SEZs including the units located in Special Economic Zones are required to get themselves registered with the Public Finance Management System (PFMS) portal on the website : www.pfms.nic.in.

It may be noted that as per the instructions issued by the Ministry of Finance in this regard, henceforth release of funds to the eligible EOUs / SEZ units / Developers / Co-Developers etc. shall not be done from 01.12.2017 onwards, if they do not start using the EAT module of the PFMS as explained above. The screenshot of the relevant web page available for registration is enclosed herewith for ready reference.

This issues with the approval of Development Commissioner, SEEPZ SEZ.

(V.P. Shukla)
Jt. Development Commissioner,
SEEPZ SEZ

Encls : As above

No. SEEPZ-SEZ/IA-II/DBK/CST/Pol/2013-14/

November 30, 2017

To,

All EOUs located in Maharashtra, Goa, Diu & Daman.
All the Developers/Co-Developers of/and the units located in SEZs.



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.
टेली/Tel: 022-28294799/28294750 Fax: 022-28291754,
E-mail : dcseepz-mah@nic.in

सार्वजनिक सूचना संख्या 44 /2017, दिनांक 30 नवंबर, 2017

विषय: सीएसटी/शुल्क वापसी/उपांत उत्पाद शुल्क वापसी की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु ईओयू का लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल पर एजेन्सी के रूप में पंजीकरण करवाए जाने के संबंध में ।

आपका ध्यान मुख्य लेखा नियंत्रक, प्रधान लेखा कार्यालय, वाणिज्य विभाग, वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 22.9.2017 के कार्यालय ज्ञापन की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें सभी एजेन्सियों को भुगतान किए जाने के लिए लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है ।

“लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)” - व्यय अग्रिम तथा अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल को कार्यान्वित किए जाने के लिए इसके द्वारा निदेश दिया जाता है कि सेजों के सभी संबंधित निर्यात उन्मुख यूनिट तथा विकासक/उप विकासक www.pfms.nic.in वेबसाइट पर लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली में पीएफएमएस पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवा लें ।

यह ध्यान रहे कि इस संबंध में, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार दिनांक 01.12.2017 से उपर्युक्त वर्णित पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल का प्रयोग न करने वाले ईओयू/सेज यूनिट/विकासकों/सह विकासकों आदि को निधि रिलीज़ नहीं किया जाएगा । पंजीकरण के लिए संगत वेबपेज का स्क्रीन शॉट तत्काल संदर्भ के लिए इसके साथ संलग्न है ।

यह विकास आयुक्त, सीपज़-सेज के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

विजय
30/11/17
(विजय प्रकाश शुक्ल)
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीपज़-सेज

अनुलग्नक-यथोपरि ।

सं.सीपज़-सेज/आइए-II/डीबीके/सीएसटी/पीओएल/2013-14/ 28945

दिनांक: 30 नवंबर, 2017

प्रति,

1. महाराष्ट्र, गोवा, दीव तथा दमण में स्थित सभी ईओयू ।
2. सीपज़-सेज में स्थित सभी यूनिट/विकासक/सह विकासक ।